

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस.

प्रार्थी
"एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए यू
फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम
से जाना जाता था) पंजीकृत
कार्यालय 19-ए धूलेश्वर गार्डन,
अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री लालाराम रावल पुत्र मिश्रीलाल
53-गोकुल वाडी शिवंगज, वार्ड नंबर 9 तहसील
शिवगंज जिला सिरोही 307027 (ऋणी)
2. श्रीमति हीना रावल पत्नि लालाराम रावल
53-गोकुल वाडी शिवंगज, वार्ड नंबर 9 तहसील
शिवगंज जिला सिरोही 307027 (सह ऋणी)
3. श्रीमति सुआ देवी पत्नि मिश्रीलाल
53-गोकुल वाडी शिवंगज, वार्ड नंबर 9 तहसील
शिवगंज जिला सिरोही 307027 दूसरा पता-पट्टा
नंबर 44 मिसल नंबर 13 ग्राम थाँवला तहसील
आहोर जिला जालोर (सह ऋणी व बंधक कर्ता)
4. श्री चंपालाल पुत्र सांकलचंद
कुम्हारो का बास तहसील समेरपुर जिला पाली
306902 (जमानती)

विविध प्रकरण संख्या

03/2018

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय अस्तित्वो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम, 2002

अधिवक्ता:-

1-श्री चन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:- 12.02.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय अस्तित्वो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

2- प्रार्थी बैंक ने निवेदन किया कि एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू.फाईनेन्सर्स (इंडिया लिमिटेड) के नाम से जाना जाता था) जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लाईसेन्स प्राप्त है। जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर 302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। वादी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी श्री बलदेव तोमर हैं। वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों से भी परिचित हैं। वह उनको प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकारी प्राप्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 2 व 3 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 03.08.2013 को 5,00,000/-रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण वर्णित है। बंधक सम्पत्ति का विवरण:- श्रीमती सुआ देवी पत्नी श्री मिश्री लाल की सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत थाँवला पंचायत समिति आहोर द्वारा जारी किया गया पट्टा नंबर 44, मिसल नंबर 13 के अनुसार ग्राम थाँवला, तहसील आहोर जिला जालोर राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 565.07 वर्ग फुट है:- उत्तर में:- छगनजी पुत्र श्री कपूरजी पुरोहित, दक्षिण में:- पारसमल पुत्र श्री वनाजी रावल, पूर्व में:- साकलाराम पुत्र श्री झालाजी खवास, पश्चिम में:- आम रास्ता व प्रवेश द्वार।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12.08.2015 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 6,83,187/- (अक्षरों रूपये छह लाख तीसरी हजार एक सौ सितयासी मात्र) दिनांक 06.06.2017 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं।

प्रार्थी एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 09.06.2017 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हें देय राशि का भुगतान प्रार्थी प्रार्थी एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड को नहीं दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी एयू स्मॉल फाइनैन्स बैंक लिमिटेड उक्त वर्णित सिक्क्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

दिनांक 16 अगस्त 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 1 संख्या 51 के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002में संशोधन किए गए हैं, उक्त संशोधित एक्ट की धारा सेक्शन 12 जो कि निम्न प्रकार से है।
Sec-12 In the principal act, in section 14 in sub-section (1),-

(i) in the second proviso, after the words "secured assets" the words "within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted

(ii) after the second proviso the following proviso shall be inserted namely

"provided further that if no order is passed by the chief metropolitan magistrate or district magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control he may after recoding reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days"

इस संशोधन के पश्चात इस प्रार्थना पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 5,00,000/- रुपये (रु पांच लाख) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उसमें संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑर्डिनेन्स की धारा 13(2) के तहत 09.06.2017 को समस्त प्रतिवादियों को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनों में 6,83,187/- (अक्षरे रुपये छः लाख तयासी हजार एक सौ सतियासी) जिसमें दिनांक 06.06.2017 तक का ब्याज सम्मिलित है। प्रतिवादियों के उक्त धारा 13(2) के नोटिस अखबार में प्रकाशित करने के बावजूद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- (1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपत्तियों, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना आहोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर